छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22-11- 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29 - यत: छत्तीसगढ के राज्यपाल की राय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की पर्याप्त मात्रा की उपाप्ति के प्रयोजन के लिए तथा देश में अन्य अभाव वाले राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य में अधिशेष चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छत्तीसगढ राज्य के भीतर चावल की उपाप्ति हेतु यह आवश्यक तथा समीचीन है.

अतएव, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 सन् 1955) की धारा 3 एवं 5, सहपठित भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता (खाद्य विभाग) के आदेश क्र. जी.एस.आर. 800 दिनांक 9 जून, 1978 भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले का विभाग) द्वारा जारी (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टाक सीमा और संचालन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2003 क्र.जी.एस.आर. 490 (ई) दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सर्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्र क्रमांक 6(CG)/2/2001-Py.111 दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 6(CG)/2/2001-Py.111 दिनांक 16 नवंबर 2007 द्वारा दी गई पूर्व सहमति से एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :-

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -**

(1) यह आदेश छत्तीसगढ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2007 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2 **परिभाषाएं-** इस आदेश में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क)"अधिनियम" से अभिप्रेत है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 सन् 1955);

(ख)"कलेक्टर" से अभिप्रेत है, जिले का कलेक्टर एवं इसमें शामिल है ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो राज्य शासन द्वारा इस आदेश के अंतर्गत कलेक्टर के समस्त या किसी कार्य को संपादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ग) "कस्टम मिलिंग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार, भारत सरकार, अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान को प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम हेतु भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मिलरों से चावल में परिवर्तित कराना;

(घ) "ब्योहारी" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति, भागीदार फर्म, संगम (एसोसिएशन) या कोई पंजीकृत निकाय जो धान अथवा चावल का विक्रय करने के लिए उसके क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय या भंडारण के कारोबार में लगा हुआ है, चाहे वह थोक विक्रेता या 500 क्विंटल मासिक से अधिक का कारोबार करने वाला फुटकर विक्रेता या उत्पादक या विनिर्माता या निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हो और चाहे वह किसी अन्य कारोबार में सहयोजित हो या नहीं और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी हैं;

(ङ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण छत्तीसगढ;

(च) "प्रवर्तन अधिकारी" से अभिप्रेत है, खाद्य निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का छत्तीसगढ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अधिकारी अथवा उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी;

(छ) "उद्ग्रहण" से अभिप्रेत है, इस आदेश के खंड 3 अथवा 4 के अंतर्गत मिलर एवं ब्योहारी द्वारा चावल का अनिवार्य विक्रय;

(ज) "उद्ग्रहण मूल्य" से अभिप्रेत है, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम हेतु चावल की उपाप्ति के लिए निर्धारित मूल्य;

(झ) "मिलर" से अभिप्रेत है किसी चावल मिल का स्वामी या भारसाधक कोई व्यक्ति;

(ञ) "क्रय अधिकारी" से अभिप्रेत है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल के क्रय हेतु नियुक्त प्राधिकारी या व्यक्ति अथवा राज्य सरकार द्वारा चावल के क्रय हेतु नियुक्त प्राधिकारी या व्यक्ति जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे;

(ट) "चावल" से अभिप्रेत है, शक्ति से चलित राईस मिल में धान का छिलका निकाल कर उत्पादित या निर्मित चावल की कोई किस्म और इसमें शामिल है स्टाक में धारित धान के समतुल्य चावल;

(ठ) "चावल मिल" से अभिप्रेत है, संयत्र और मशीन जिससे कि राईस मिलिंग संचालन की कार्यवाही की जाती है और इसमें शामिल है वह परिसर एवं परिसीमा जिसमें या जिसके किसी भाग में राईस मिलिंग संचालन की कार्यवाही की जाती है;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ राज्य;

(ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ सरकार;

3 मिलर से उद्ग्रहण –

(1) प्रत्येक मिलर कस्टम मिलिंग को छोडकर उसके द्वारा उत्पादित या निर्मित अरवा चावल की कुल मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत क्रय अधिकारी को अरवा चावल के रूप में उद्ग्रहण मूल्य पर खंड 6 में उल्लिखित रीति से विक्रय करेगा;

(2) प्रत्येक मिलर कस्टम मिलिंग को छोडकर उसके द्वारा उत्पादित या निर्मित उसना चावल की कुल मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत क्रय अधिकारी को अरवा अथवा उसना चावल के रूप में उद्ग्रहण मूल्य पर खंड 6 में उल्लिखित रीति से विक्रय करेगा;

(3) उपखंड (1) एवं (2) के अंतर्गत क्रय अधिकारी को विक्रय किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार होगी.

4 ब्योहारी से उद्ग्रहण –

(1) प्रत्येक ब्योहारी, विक्रय प्रदाय या निर्यात के लिए क्रय अथवा आयात किए गए चावल, अथवा विक्रय प्रदाय या निर्यात के लिए क्रय अथवा आयात किए गए धान से निर्मित चावल के स्टाक की कुल मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत क्रय अधिकारी को उद्ग्रहण मूल्य पर खंड 6 में उल्लिखित रीति से विक्रय करेगा;

(2) उपखंड (1) के अंतर्गत क्रय अधिकारी को विक्रय किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार होगी.

5 मिलर तथा ब्योहारी द्वारा त्रैमासिक विवरणी –

(1) प्रत्येक मिलर उसके द्वारा क्रय किए गए या अन्यथा प्राप्त किए गए धान, मिलर के पास उपलब्ध धान तथा चावल के स्कंध, एवं मिलर द्वारा मिल किए गए धान की जानकारी देते हुए संचालक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक त्रैमासिक विवरणी कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा;

(2) प्रत्येक ब्योहारी उसके द्वारा क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, भंडारण, विनिर्माण, आयात अथवा निर्यात किए गए धान एवं चावल की जानकारी देते हुए संचालक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक त्रैमासिक विवरणी कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा;

(3) प्रत्येक मिलर एवं ब्योहारी उपखंड 2 एवं 3 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विवरणी में इस आदेश के तहत उसके द्वारा देय लेवी की मात्रा की गणना भी प्रस्तुत करेगा.

6 लेव्ही परिदान की प्रक्रिया -

(1) मिलर्स तथा ब्यौहारी खंड 5 के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी के अनुसार क्रय अधिकारी को खंड 3 एवं 4 में दी गई मात्रा में लेवी का चावल विक्रय करेंगे;

(2) क्रय अधिकारी वही चावल स्वीकार करेंगे जिसकी गुणवत्ता संबंधित खरीफ विपणन मौसम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार होगी;

(3) चावल के भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार होने के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में क्रय अधिकारी यथासंभव मिलर या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में चावल के तीन प्रतिनिधि नमूने लेकर सीलबंद करेगा तथा इनमें से एक नमूना मिलर या उसके प्रतिनिधि को सौंप देगा और दो नमूनों को विश्लेषण के लिए भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशाला को भेज देगा एवं इन नमूनो के विश्लेषण का परिणाम दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा.

7 मिंलिंग पर निर्बंधन -

(1) राज्य सरकार एवं उसकी कोई एजेंसी तथा भारत सरकार एवं उसकी कोई एजेंसी किसी भी मिलर से कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध कर सकेगी;

(2) कलेक्टर किसी भी मिलर को ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी तथा भारत सरकार या उसकी किसी एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं धारित धान के किसी भी स्टाक की कस्टम मिलिंग करने के निर्देश दे सकेगा;

परन्तु कलेक्टर किसी भी मिलर को उसकी वार्षिक मिलिंग क्षमता के एक तिहाई से अधिक की कस्टम मिलिंग करने के निर्देश इस उपखंड के अंतर्गत नहीं देगा;

(3) कलेक्टर द्वारा उपखंड (2) के अंतर्गत निर्देश दिए जाने पर संबंधित मिलर के लिए यह बंधनकारी होगा कि वह अन्य किसी धान की मिलिंग के पूर्व कलेक्टर द्वारा निर्देशित कस्टम मिलिंग पूर्ण करे.

8 छूट –

(1) राज्य सरकार केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के सभी या कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट प्रदान कर सकेगी, और किसी भी समय ऐसी छूट को वापस ले सकेगी.

(2) राज्य सरकार केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के सभी या कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन से धान अथवा चावल की किसी प्रजाति को छूट प्रदान कर सकेगी, और किसी भी समय ऐसी छूट को वापस ले सकेगी.

9 प्रवेश, तलाशी, जप्ती आदि की शक्तियां -

(1) कोई प्रवर्तन अधिकारी, इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए या यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश का पालन किया गया है-

(क) किसी चावल मिल या अन्य किसी स्थान जहां उसे विश्वास करने का कारण हो कि चावल उत्पादित या स्टाक किया जाता है, या धान स्टाक किया जाता है, ऐसे सहायकों के साथ, जो आवश्यक हों, प्रवेश कर सकेगा,

(ख) किसी भी व्यक्ति से समस्त आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा,

(ग) किन्हीं भी पुस्तकों का या दस्तावेजों का परीक्षण कर सकेगा,

(घ) मिलर अथवा ब्योहारी द्वारा धारित चावल एवं धान के स्टाक के संबंध में ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा, जैसी कि इस आदेश के अंतर्गत लेवी आंकलित करने के लिए आवश्यक हों,

(ङ) तलाशी ले सकेगा और तलाशी के उद्देश्य के लिए जहां तक आवश्यक हो, किसी भी व्यक्ति को रोक कर रख सकेगा और ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पाए गए चावल एवं धान को जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है जप्त कर सकेगा और इसके पश्चात् ऐसे समस्त उपाय कर सकेगा या उनका पालन किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा जो कि इस प्रकार जप्त चावल के स्टाक का न्यायालय में अथवा कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रकार पेश करने के लिए तथा इस प्रकार का पेश किए जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हो.

10 **शास्ति** - यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के किसी भी उपबंध, अथवा इस आदेश के अंतर्गत जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश, अथवा इस आदेश के अंतर्गत किए गए किसी अनुबंध का उल्लंघन करेगा तो वह अधिनियम की धारा 7 के अधीन दण्ड का भागी होगा.

11 **चावल अथवा धान का राजसात किया जाना** - खंड 10 के अंतर्गत किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कलेक्टर संबंधित मिलर, ब्योहारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति से खंड 9 के अंतर्गत जप्त किए गए धान एवं चावल का संपूर्ण स्टाक शासन के पक्ष में राजसात कर सकेगा.

12 **अभिलेखों का संधारण** - प्रत्येक मिलर एवं ब्योहारी द्वारा धान एवं चावल एवं धान के अभिलेखों का संचालक द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारण किया जाएगा.

13 **अपील** -

(1) प्रवर्तन अधिकारी अथवा क्रय अधिकारी द्वारा लेवी अथवा कस्टम मिलिंग के संबंध में की गई किसी कार्यवाही से व्यथित व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकेगा;

(2) कलेक्टर द्वारा जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश जारी होने की 30 दिवस के भीतर राज्य शासन को अपील कर सकेगा.

14 **आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करने का कर्तव्य** - प्रत्येक मिलर, ब्योहारी या अन्य व्यक्ति, सक्षम अधिकारी द्वारा इस आदेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश का पालन करेगा.

15 **निरसन तथा व्यावृत्ति** - इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29, दिनांक 17 जून 2005 द्वारा बनाया गया छत्तीसगढ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2005 इस आदेश के प्रभावशील होने के दिनांक से विखंडित किया जाता है.

परन्तु ऐसे निरसन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2005 के अधीन जारी किया गया कोई आदेश इस आदेश के अधीन जारी किया गया समझा जावेगा.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी एस तिवारी)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग